भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 149

(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगस संबंधी शिकायतों की सी.बी.आई. जांच

149. श्री शादी लाल बत्राः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगस) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ऐसे मामलों की जांच बंद कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या-क्या हैं; और

(ङ) मनरेगस के अंतर्गत निधियों के अन्यत्र उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) और (ख) : दिनांक 10.11.2011 की स्थिति के अनुसार देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में मंत्रालय को कुल 2574 शिकायतें मिली हैं। शिकायतें मुख्य रूप से जॉब कार्ड उपलब्ध न कराए जाने, निधियों के दुर्विनियोग, ठेकेदारों को कार्य में लगाए जाने, मस्टर रोल में हेर-फेर, जॉब कार्ड में गड़बड़ी, मजदूरी का कम भुगतान, मजदूरी का भुगतान न किए जाने, भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताएं, मशीनरी का उपयोग, भुगतान में विलंब आदि से संबंधित हैं। इन मामलों में से 1049 मामलों का निबटान कर दिया गया है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम का कार्यान्वयन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार किया जाता है, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें विधि के अनुसार जांच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। गंभीर स्वरूप की शिकायत के मामले में मंत्रालय शिकायत की जांच करने के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम) प्रतिनियुक्त करता है। सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एनएलएम की रिपोर्ट की जानकारी संबंधित राज्य सरकार को दी जाती है।

(ग) और (घ) : वर्ष 2007 की रिट याचिका (लोकहितवाद) सं. 645-सेंटर फॉर इनवायरनमेंट एंड फूड सेक्युरिटी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अप्रैल, 2011 में उड़ीसा

सरकार की सहमति मिलने पर केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत भ्रष्टाचार एवं निधियों के दुर्विनियोग के आरोपों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ङ) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमजीएनआरईजीए के लिए रिलीज की गई निधियों का उपयोग पारदर्शी एवं कुशलतापूर्वक किया गया है, सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से महात्मा गांधी नरेगा योजना लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 को अधिसूचित किया गया है।

(ii) समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने, मजदूरी भुगतान में ईमानदारी लाने के लिए एमजीएनआरईजी अधिनियम की अनुसूची-II को संशोधित किया गया है ताकि विशेष रूप से छूट मिलने तक बैंक अथवा डाकघरों में संस्थागत खातों के जरिए एमजीएनआरईजीए कामगारों को मजदूरी वितरण को एक सांविधिक आवश्यकता बनाया जा सके।

(iii) मजदूरी वितरण के संस्थागत पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए यह तय किया गया है कि राज्य सरकार रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/ अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) आमंत्रित कर प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर ग्राम स्तर पर बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के साथ बैंकों के जरिए मजदूरी भुगतान कराने के लिए बिजनेस कॉरेसपोंडेंट मॉडल लागू करे।

(iv) एमजीएनआरईजीए के लिए समर्पित स्टाफ की तैनाती, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन एवं प्रशासनिक सहायक संरचना शिकायत निवारण एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के लिए अनुमेय प्रशासनिक व्यय की सीमा को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है।

(v) राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे एमजीएनआरईजीए के लिए निधियों के प्रबंधन में अधिक लोचनीयता के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष बनाएं।

(vi) जॉब कार्ड, मस्टर रोल, मांगे गए रोजगार एवं किए गए कार्यदिवस, कार्यों की सूची, उपलब्ध/ खर्च की गई निधियां, सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायतों के पंजीकरण आदि सहित सार्वजनिक समीक्षा के लिए आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी आधारित एमआईएस लागू की गई है।

(vii) शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर ओमबड्समेन नियुक्त करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है।

(viii) योजना की निगरानी के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी तंत्र है।

(ix) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एक वित्त वर्ष में एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत निधियों का केन्द्रीय अंश की रिलीज पूर्व वित्त वर्ष के लेखाओं के निपटान एवं उपयोग प्रमाण पत्र की समीक्षा के अध्यधीन की जाती है।

*****